जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.01.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 21 वर्षीय युवक की उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.01.2025 को 16.24 PM बजे थाना धनघटा अन्तर्गत अहरा निवासी 21 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट फोटो वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया, जिसके उपरान्त मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग), लखनऊ, उ0प्र0 व सोशल मीडिया सेल सन्तकबीरनगर द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में थाना धनघटा को वीडियो, मो0नं0 व युवक की लोकेशन उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके उपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 रामदरश यादव, हे0 का0 इन्द्रजीत ,हे0का0 प्रमोद राय द्वारा फेसबुक पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाले 21 वर्षीय युवक निवासी अहरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के घर अविलम्ब पहुंचकर उसकी जान बचायी गयी तथा उसकी काउंसलिंग प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र द्वारा की गयी । काउंसलिंग के दौरान युवक द्वारा बताया गया कि प्रेम-प्रसंग में लड़की से बात नहीं हो रही थी इसीलिए मैंने जहर खाने की पोस्ट डाल दी थी । युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी । युवक द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया । परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व आभार जताया गया ।

पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र ।
2. वरिष्ठ उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ ।
3. उ0नि0 रामदरश यादव ।
4. हे0 का0 इन्द्रजीत ।
5. हे0का0 प्रमोद राय ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत हरना से कालर द्वारा दो पहिया वाहन पेंड में टकरा जाने से घायल 02

व्यक्तियों (01.मनीष पुत्र अमरनाथ 02. अनिल पुत्र रामविलास निवासीगण बेलहर खुर्द थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विनोद कुमार मौर्या, आ0 अमित कुमार, हो0चा0 देवेन्द्र नाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 154 वाहनों से 2,06,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 154 वाहनों से 2,06,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.01.2025 को ***ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 175/1993 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता नाटे उर्फ अब्दुल मजीद पुत्र इनामुल्लाह निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, धारा 41/411 धारा भा0द0वि0 में 100 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 30 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 04 स्थानो पर लगवाये गये 17 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 06.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 04 स्थानो पर 17 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 स्थानो पर 08 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।